उपाध्यक्ष कार्यालय,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

संख्याः 32 /उपा0का0/24–25 दिनांक 17 सितम्बर, 2024

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 5761/2024 बृज मोहन तंवर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये थेः–

"In the facts of the present case, we call upon the respondents to ensure that no constructions in excess of the sanction plan is allowed to be raised on the spot. The State Government is also directed to issue immediate directions to all development authorities to ensure that no constructions are allowed to be raised over and above the permissible constructions as per the building bye-laws. We may also sepcify that the norms for constructions as per the building bye-laws must to be relaxed in cases of compounding, inasmuch as the compounding can only be to faciliate ex-post facto approval of plan, but while doing so, the building norms cannot be relaxed. What is not permissible under the building bye-laws should not be allowed by way of compounding. The principle secretary of the Department of Housing shall, therefore, file his personal affidavit in compliance of the above directions. The Vice-chairman shall ensure that no constructions on the plot is allowed to be raised except in accordance with the sanction plan. The authority shall also make an assessment of the damage which apparently has been caused to the petitioner's construction on account of deviations allowed while raising constructions by the private respondents."

उक्त आदेश के क्रम में शासन के पत्र सं0–डब्लू–248/आठ–8–2024–36 रिट/2024 दिनांक 28.03.2024 द्वारा समस्त अभिकरणों को शमन न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये। उक्त रिट याचिका में दिनांक 08.04.2024 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पुनः सुनवाई हेतु नियत थी जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता–श्री एम0सी0 चतुर्वेदी, मा0 न्यायालय में उपस्थित हुए तथा विकास प्राधिकरण का निम्न पक्ष रखा गयाः–

"Sri M.C. Chaturvedi, learned senior advocate assisted by Sri Pradeep Kumar Tripathi, learned counsel for the Ghaziabad Development Authority (in short GDA) has placed a detailed instructions and submits that GDA is duty bound to comply with the Uttar Pradesh Urban Planning and Development, Act 1973 and bye-laws dated 14.01.2010 framed by the GDA. He submits that exhaustive procedure has been provided under section 32 read with compounding bye-laws framed in the year 2010 by the GDA and strict compliance is being ensured in the territorial jurisdiction of GDA. He further submits that the instructions dated 02.04.2024 sent by the Vice-chairman, GTA may be taken on record.

प्रश्नगत रिट याचिका दिनांक 08.04.2024 को अन्तिम रूप से निस्तारित की जा चुकी है तथा शासन के पत्र सं0–डब्लू–418/आठ–8–2024–36रिट/2024 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। प्रश्नगत प्रकरण में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट एक्ट, 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत कम्पाउडिंग बाई–लॉज, 2010 के द्वारा की जाने वाली शमन कार्यवाही का उल्लेख किया गया जिसका संज्ञान मा0 न्यायालय लेते हुए कोई विपरीत आदेश पारित नही किया गया है। उ0प्र0 शासन द्वारा शमन उपविधि–2009 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या 4824/8–3–09–09विविध/09 दिनांक 14 जनवरी 2010 को मा0 न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट एक्ट, 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत शमन उपविधि 2009 जो दिनांक 14 जनवरी 2010 से प्रभावी है के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही निष्पादित कराई जाये।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/अपर सचिव, ल0वि0प्रा0
2. वित्त नियंत्रक/मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियन्ता
3. समस्त विशेष कार्याधिकारी/जोनल अधिकारी
4. अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता
5. समस्त सम्बन्धित/गार्ड फाइल

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष